न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी –जगदीश आर्य

अपील संख्याः 79/2018 तारीख रजू 16.08.2018

आम जनता हिम्मतपुरा ढाणी खण्डेवला जरिए –

1. रामचरण पुत्र सुखेदवा जाति बैरवान निवासी हिम्मतपुरा ढाणी खण्डेवला तह0 खण्डार
2. बनवारी पुत्र प्रभूलाल जाति बैरवान निवासी हिम्मतपुरा ढाणी खण्डेवला तह0 खण्डार
3. देवीशंकर पुत्र तुलसीराम जाति बैरवान निवासी हिम्मतपुरा ढाणी खण्डेवला तह0 खण्डार
4. जगदीश पुत्र गोविन्दा जाति बैरवान निवासी हिम्मतपुरा ढाणी खण्डेवला तह0 खण्डार
5. भंवरलाल पुत्र ताराचन्द जाति बैरवान नि॰ हिम्मतपुरा ढाणी खण्डेवला तह0 खण्डार जिला सवाईमाधोपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार खण्डार।
2. हटया पुत्र मंगल्या चमार (फोत) नि0 खंडेवला तहसील खण्डार
   - 2 (1) केसर पत्नि हटया बैरवा निवासी खण्डेवला तहसील खण्डार
   - 2 (2) कपूरा पुत्र हटया बैरवा निवासी खण्डेवला तहसील खण्डार
   - 2 (3) हरिमोहन पुत्र हटया बैरवा निवासी खण्डेवला तहसील खण्डार
   - 2 (4) धनजी पुत्र हटया बैरवा निवासी खण्डेवला तहसील खण्डार
   - 2 (5) कपूरी पुत्री हटया बैरवा पत्नी शंकर बैरवा निवासी खण्डेवला तहसील खण्डार हाल निवासी बहरावण्डा खुर्द
   - 2 (6) द्वारका पुत्री हटया बैरवा पत्नी रामप्रसाद निवासी खण्डेवला तहसील खण्डार हाल बडोद
   - 2 (7) द्रोपती पुत्री हटया बैरवा पत्नी पुरूषोत्तम बैरवा निवासी खण्डेवला तहसील खण्डार हाल मेईखुर्द
   - 2 (8) शांति पुत्री हटया पत्नी हरिमोहन बैरवा निवासी खण्डेवला तहसील खण्डार हाल गंगानगर

.....रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय दिनांक 28.06.2024

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नामांतकरण संख्या 212 दिनांक 10.04.1973 (तहसीलदार खण्डार) के विरूद्व निम्नानुसार प्रस्तुत की है– यह है कि अपीलांटान 1 ल0 5 हिम्मतपुरा ढाणी खण्डेवला के रहने वाले है तथा रेस्पोडेन्टान 2/1 ल0 2/8 भी इसी ढाणी में रहने वाले है। आ0ख0नं0 38/1 रकबा 4 बीघा इस हिम्मतपुरा ढाणी के पास ही स्थित है तथा इसी में होकर आम जनता ढाणी के लोग आते जाते रहे है। वर्तमान में भी आम जनता इसी आराजी में होकर आती जा रही है। मौके पर उक्त आराजी आज भी पड़त पड़ी हुई है। आज दिन तक हटया व उसके परिवार वालों ने इस जमीन को काश्त नहीं की है तथा आम रास्ते के काम आ रही है।

अति॰ जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

इस आराजी पर होकर हिम्मतपुरा ढाणी की आम जनता मुख्य सडक पर आती जाती है। यह कि उक्त आराजी जनउपयोग की भूमि है तथा रास्ते के काम सदैव से आ रही है। इस जमीन का हटया के नाम कोई आवंटन या रेगूलाईजेसन नहीं हुआ है । हटया ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर बिलकुल फर्जी यह नामांतकरण भरवा लिया है जो निरस्त किए जाने योग्य है। यह कि उक्त नामांतकरण मुताबिक ढाल–बांछ के आधार पर भरा गया है। ढाल–बांछ में तो केवल लगान कितना प्राप्त किया है उसका इन्द्राज होता है ढाल–बांछ के आधार पर किसी भी आराजी का नामांतकरण नहीं खोला जा सकता है। इस कारण यह नामांतकरण खारिज होने योग्य है। यह है कि अपीलाधीन आदेश व प्रवृष्ठि बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के ही की गई है तथा नामांतकरण खोलने से पूर्व नामांतकरण नियमों का वोइलेसन कर बिना मौका रिपोर्ट कब्जा जांच कर खोला गया है जो निरस्तनीय है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलाधीन नामांतकरण से संबंधित मूल नामान्तकरण तलब किया गया। रेस्पो0 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन नामांतकरण से संबंधी मूल नामान्तकरण प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यो की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस मे कथन किया है कि आ0ख0नं0 38/1 रकबा 4 बीघा इस हिम्मतपुरा ढाणी के पास ही स्थित है तथा अपीलांटान 1 ल0 5 एवं हिम्मतपुरा ढाणी की आम जनता इसी आराजी पर होकर मुख्य सडक पर आते जाते रहे है। वर्तमान में भी आम जनता इसी आराजी में होकर आती जा रही है। मौके पर उक्त आराजी आज भी पड़त पड़ी हुई है। आज दिन तक हटया व उसके परिवार वालों ने इस जमीन को काश्त नहीं की है तथा आम रास्ते के काम आ रही है। उक्त आराजी जनउपयोग की भूमि है तथा रास्ते के काम सदैव से आ रही है। इस जमीन का हटया के नाम कोई आवंटन या रेगूलाईजेसन नहीं हुआ है । अपीलाधीन आदेश व प्रवृष्ठि बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के ही की गई है तथा नामांतकरण खोलने से पूर्व नामांतकरण नियमो का वोइलेसन कर बिना मौका रिपोर्ट कब्जा जांच कर खोला गया है। हटया ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर बिलकुल फर्जी यह नामांतकरण भरवा लिया है। उक्त नामांतकरण मुताबिक ढाल–बांछ के आधार पर भरा गया है जबकि ढाल–बांछ में तो केवल लगान कितना प्राप्त किया है उसका इन्द्राज होता है, ढाल–बांछ के आधार पर किसी भी आराजी का नामांतकरण नहीं खोला जा सकता है। इस कारण यह नामांतकरण खारिज होने योग्य है। इस प्रकार गलत तरीके से खोला गया नामान्तकरण एवएनइश्यु वोइड है जिस पर मियाद का बिन्दु लागू नहीं होता है। जिसके समर्थन में वकील अपीलार्थी ने (1) गणेश बनाम राधेश्याम व अन्य आर.आर.डी. 1996 पेज 257, (2) मानसिंह बगैरह बनाम रूपराम (211) आर.आर.डी. 1995 पेज 576 एवं (3) श्रीराम बनाम मोटाराम व अन्य आर.आर.डी. 1994 पेज 604 आदि साईटेशन पेश की। अन्त में अपीलान्टान द्वारा अपील स्वीकार कर तहसीलदार खण्डार का नामांतकरण आदेश दिनांक 10.04. 1973 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 2/1 ल0 2/8 ने बहस मे कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2/1 ल0 2/8 के पिता के पक्ष में दिनांक 10.04. 1973 को नामांतरण सं0 212 खोला गया था जिसके लगभग 45 वर्ष बाद अपीलान्टान द्वारा उक्त नामांतकरण के विरूद्ध अपील दर्ज करवाई गई है जो कि मियाद बाहर होने के कारण खारिज योग्य है।

अति॰ जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा अपीलाधीन नामांतकरण की मूल जिल्द का अवलोकन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि वकील अप्रार्थी द्वारा बहस के दौरान दिये तर्क जिसमें प्रकरण मियाद के बिन्दु पर खारिज किया जावे, के संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अध्ययन एवं मनन किया जिसमें यह तथ्य उभर कर सामने आये कि उक्त नामान्तकरण के सही होने पर ही मियाद का बिन्दु लागू होगा तथा यदि उक्त नामान्तकरण एवएनइश्यु वोइड है तो इस पर मियाद का बिन्दु लागू नहीं होता है। इस प्रकार मियाद के बिन्दु पर निर्णय लेने से पूर्व नामान्तकरण की सत्यता/प्रमाणिकता पर निर्णय लिया जाना आवश्यक है। इस हेतु अपीलाधीन नामान्तकरण के अवलोकन करने पर यह पाया जाता है कि नामान्तकरण संख्या 212 कें कॉलम 16 में पटवारी हल्का ने यह अंकित किया है कि "**श्रीमानजी मुताबिक ढालबांछ के नामान्तरकरण भरकर पेश हैं।**" जिसकी भू.अभि.निरीक्षक द्वारा तुलना कर तहसीलदार के समक्ष पेश किया है जिस पर तहसीलदार ने उक्त नामांतकरण स्वीकार करते हुए यह अंकित किया है कि "**आज नामान्तकरण वास्ते तस्दीक पेश हुआ हट्टया पुत्र मंगल्या चमार सा0देह को ख0नं0 मि 38/1 बारानी 2 लगानी 71/– पर गैर खातेदारी दी जाकर नामांतकरण स्वीकार एस.डी.ओ. साहब के आज्ञानुसार किया जाता है नक्शे में तस्दीक कर इसके पीछे भरकर लगाया जावे।**" इस प्रकार उक्त नामान्तकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि पटवारी हल्का द्वारा ढाल–बांछ के आधार पर नामान्तकरण भरकर पेश किया गया है जबकि ढाल–बांछ के आधार पर किसी भी आराजी का नामान्तकरण नहीं खोला जा सकता है। तहसीलदार द्वारा नामांतकरण तस्दीक करते हुए एस.डी.ओ. के आज्ञानुसार दिया जाना अंकित किया है जबकि किसी आदेश से तस्दीक किया है उक्त आदेश का नामान्तकरण में कोई अंकन नहीं है। इस संबंध में उप जिला कलेक्टर खण्डार से रिपोर्ट तलब की गई जिसमें उनके द्वारा रिपोर्ट में अवगत कराया गया कि **नामान्तकरण संख्या 212 दिनांक 10.04.1973 में किसी प्रकार का आदेश चस्पा नहीं है।** साथ ही रिपोर्ट में यह भी उल्लेखित किया गया है कि ग्राम खण्डेवला (हिम्मतपुरा ढाणी) के ख0नं0 38/1 नवीन खसरा नं0 535/38 रकबा 04.00 बीघा किस्म बारानी 2 मुताबिक जमाबन्दी हरिमोहन, धन्नालाल पुत्र हट्टया हिस्सा 7/12 केसरा बेवा हट्टया हिस्सा 1/8 राहिन एस.बी.बी.जे. शाखा खण्डार धोड़ी पत्नी गोपी हि. 7/24 जाति बैरवा के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। खसरा न0 535/38 की ग्राम खण्डेवला की राजस्व नक्शा शीट में तरमीम नहीं है। उक्त ख0नं0 मौके पर खण्डेवला लिंक सडक के पश्चिम में स्थित है। मुताबिक नजरी नक्शा भूखण्ड ए पर धोड़ी पत्नी गोपी का 25x25 वर्ग फीट का एक पक्का मकान व 10X30 वर्गफीट का अधूरा कमरा बना हुआ है। शेष भू–खण्ड पर तिल की फसल बोई हुई है। धोड़ी पत्नी गोपी बैरवा की उक्त खसरा नम्बर में मुताबिक खातेदारी 1.03 बीघा खातेदारी भूमि के मुकाबले मौके पर लगभग 1.08 बीघा भूमि पर कब्जा है। **मुताबिक नक्शा भूखण्ड बी पर हरिमोहन, धन्नालाल पुत्र हटया, केसर बेवा हटया का कब्जा है। उक्त भू–खण्ड पर मौके पर अंग्रेजी बबूल (जूलीफलोरा) के पेड़ उगे हुए है। भूखण्ड बी के दक्षिणी पूर्वी कोने पर खाद का ढेर पड़ा हुआ है। भूखण्ड बी के बीच में होकर हिम्मतपुरा ढाणी में जाने का रास्ता चाहते है जबकि रास्ता रिकार्डेड नहीं है।** मुताबिक नजरी नक्शा भूखण्ड सी पर मेमराज पुत्र जगन्नाथ कुम्हार का कब्जा है। उक्त भूखण्ड पर मेमराज कुम्हार का 22X65 वर्गफीट का पक्का मकान बना हुआ है। शेष भूखण्ड पर मेमराज कुम्हार ने बाडी बोई हुई है। मुताबिक नजरी नक्शा अनुसार भूखण्ड डी पर रमेश पुत्र बालाराम गुर्जर का कब्जा है। उक्त भूखण्ड पर 30X45 वर्ग फीट का पक्का मकान बना हुआ है। शेष भूखण्ड पर रमेश गुर्जर द्वारा बाड़ी बोई हुई है। **इस प्रकार उक्त ख0नं0 38/1 पर अप्रार्थीगण का नजरी नक्शानुसार भूखण्ड बी पर मौके पर अंग्रेजी बबूल (जूलीफलोरा) के पेड़ उगे हुए है। भूखण्ड बी के दक्षिणी**

अति॰ जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

पूर्वी कोने पर खाद का ढेर पड़ा हुआ है। भूखण्ड बी के बीच में होकर हिम्मतपुरा ढाणी में जाने का रिकार्डेड रास्ता नहीं है, पड़त भूमि में बबूल के मध्य से आने जाने के निशानात होना रिपोर्ट में अंकित है। इसके साथ ही यहां यह भी उल्लेखनीय है कि विवादित नामान्तकरण संख्या 212 बिना किसी आदेश के मात्र ढाल–बांछ के आधार पर तहसीलदार खण्डार के आदेश दिनांक 10.04.1973 द्वारा खोला गया है ऐसी स्थिति में तहसीलदार खण्डार के आदेश दिनांक 10.04.1973 के द्वारा खोला गया नामान्तकरण सही प्रतीत नहीं होता है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार खण्डार द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.04.1973 जिसके द्वारा आलोच्य नामांतकरण संख्या 212 ग्राम खण्डेवला को तस्दीक करने का आदेश पारित किया है, को निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार खण्डार को आदेशित किया जाता है कि उक्त विवादित नामान्तकरण संख्या 212 के संबंध में अन्य दीगर न्यायालय से स्थगन न होने की स्थिति में उक्त आदेश दिनांक 10.04.1973 की पालना में की गई समस्त अग्रिम कार्यवाही एवं प्रवृष्ठियां निरस्त कर नामांतकरण से पूर्व की प्रवृष्ठि कायम करने के निर्देश की पालना की जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश आर्य)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर